रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 2003/कार्तिक 9, 1925

No. 529] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2003/KARTIKA 9, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 856(अ).— केन्द्रीय सरकार,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 की धारा 15न तथा 15प के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रियाविधि) नियम,2000 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं :

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

(1) इन नियमों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रियाविधि)(संशोधन) नियम,2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 में, उप-नियम (1) में,खंड (ङ.) के पश्चात निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा,नामतः

"(ङ.ङ.) सदस्य का अर्थ है,अधिनियम की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य।"

3. विद्यमान नियम 5 को नियम 5 के उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा,नामतः

"(2) पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान सरकार अन्य दो सदस्यों में से किसी एक

को उस स्थान पर, जहां इसका कार्यालय अवस्थित है अथवा इसके क्षेत्राधिकारांतर्गत आने वाले किसी अन्य स्थान पर,जैसा अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त समझे,न्यायाधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत करेगी।"

4. नियम 8 में, उप-नियम 5 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,नामत :-

"(5) उप-नियम(4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील पीठासीन अधिकारी को अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, नियम 5 के उप-नियम(2) के अधीन प्राधिकृत सदस्यों को ऐसा आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर की जाएगी,इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।"

5. नियम 11 में, उप-नियम(1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,नामत :-

"(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन की 5 प्रतियां दी जाएंगी तथा उनके साथ आदेश की प्रतियां संलग्न होगी जिनमें से कम से कम एक प्रति उस आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है।"

6. नियम 14 में,उप-नियम (1) में,शब्द "तीन" के स्थान पर,शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. नियम 16 में, उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएग,नामत :-

" बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी अथवा नियम 5 के उप-नियम(2) के तहत सरकार द्वारा प्राधिकृत सदस्य की अनुपस्थिति में,पीठासीन अधिकारी उस दिन उपस्थित दूसरे सदस्य को बोर्ड की अथवा अपील के विरूद्ध प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है।"

8. (i) नियम 17 में, सीमांत नोट के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

" पीठासीन अधिकारी,सदस्यों तथा पक्षों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक संबंधी विनियम";

(ii) उप-नियम(1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,नामतः.

" पीठासीन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्यों की पोशाक सफेद अथवा धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट और काली टाई या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट, होगी। महिला पीठासीन अधिकारी या सदस्य के मामले में, पोशाक सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट, होगी।"

9. नियम 18 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :- .

" 18(1) अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश, पीठासीन अधिकारी तथा उसके अन्य दो सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा। पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन अंतरिम आदेश या निषेधादेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिन्हें वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।"

(2) आदेशों की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण की बैठक में की जाएगी।

10.(i) नियम 25 में, उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"(1) रजिस्ट्रार पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपने कार्य पूरे करेगा। वह ऐसे अन्य कार्य पूरे करेगा जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में,नियम 5 के उप-नियम 2 के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा लिखित रूप में पृथक आदेश द्वारा सौपे जाएं";

(ii) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"(4) पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण की शासकीय मुद्रा किसी आदेश,सम्मन या अन्य आदेशिका पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के अधीन लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं।"

11. नियम 26 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"26. नियमों में सौंपे गए कार्यों तथा कर्त्तव्य के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पीठासीन अधिकारी अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम 2 के अधीन अधिकृत सदस्य के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा कार्य होंगे, नामतः"

(i) सभी अपीलें, प्रत्युत्तर और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना ;

(ii) अपील की संवीक्षा से उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का उनके पंजीकृत किए जाने के पूर्व, विनिश्चय करना ;

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई किसी अपील में नियम के अनुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना ;

(iv) पीठासीन अधिकारी या, उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम (5) के उप-नियम(2)के अधीन अधिकृत सदस्य के निर्देशों के अधीन रहते हुए,अपील या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके संबंध में सूचनाएं जारी करना ;

(v) अभिलेखों के किसी प्रारूपिक संशोधन का निर्देश देना ;

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां दिलाए जाने का आदेश देना ;

(vii) अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने की इजाजत देना ;

(viii) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं की तामील,नई सूचना के जारी किए जाने के लिए आवेदन या प्रत्यर्थी पर तामील के लिए समय बढ़ाने या तामील की एक विशिष्ट विधि रखने का आदेश देना, जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से सूचना के प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित तामील शामिल है, से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना ;

(ix) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेख मंगवाना।

[फा. सं. 5/33/सी.एम./2003]
यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 18 फरवरी,2000 के सा.का.नि.144 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2003

G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by section 29 read with sections 15T and 15U of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Central

Government hereby makes the following rules to amend the Securities Appellate Tribunal(Procedure) Rules, 2000, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These Rules shall be called as Securities Appellate Tribunal (Procedure) (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. In rule 2, in sub rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

" (ee) "Member means the Member of the Securities Apppellate Tribunal appointed under section 15 L of the Act".

3. The existing rule 5 shall be numbered as sub-rule (1) of rule 5, and after sub-rule (1) as so numbered, the following shall be inserted, namely:-

" (2) In the temporary absence of the Presiding Officer, Government may authorise one of the two other Members to preside over the sitting of the Tribunal either at a place where its office is situated or at such other place falling within its jurisdiction as it may deem fit by the Appellate Tribunal".

4. In rule 8, for sub rule (5), the following shall be substituted, namely:-

" (5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within 15 days of receiving of such order to the Presiding Officer or in his temporary absence, to the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, whose decision thereon shall be final".

5. In rule 11, for sub rule (1), the following shall be substituted, namely:

" (1) Every memorandum of appeal shall be in five copies and shall be accompanied with copies of the order, at least one of which shall be a certified copy, against which the appeal is filed".

6. In rule 14, in sub rule (1), for the word "three", the word "five" shall be substituted.

7. In rule 16, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that in case of temporary absence of the Presiding Officer or of the Member authorised by the Government under sub-rule (2) of rule 5, the Presiding Officer can authorise the other Member present on that day to hear the Board or authorised representaive against the appeal".

8. (i) In Rule 17, for the marginal note, the following shall be substituted, namely:-

"Dress regulations for the Presiding Officer, Members and for the representative of the parties";

(ii) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

" (1) The dress for the Presiding Officer and two other Members shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and black tie or buttoned up black coat. In the case of a female Presiding Officer or a Member, the dress shall be black coat over the white saree."

9. For rule18, the following shall be substituted, namely:-

"18(1) Every order of the Appellate Tribunal shall be signed and dated by the Presiding Officer and the two other Members. The Presiding Officer will have powers to pass interim orders or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which it considers necessary in the interest of justice.

(2) Orders shall be pronounced in the sitting of the Appellate Tribunal by the Presiding Officer or in case of the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5.".

10. (i) In rule 25, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

" (i) The Registrar shall discharge his functions under the general superintendence of the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5. He shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules by the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, by a separate order in writing;

(ii) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

" (4) Subject to any general or special direction by the Presiding Officer, or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, the official seal of the Appellate Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing from the Registrar".

11. For rule 26, the following shall be substituted, namely:-

"26. In addition to the functions and duties assigned in the rules, the Registrar shall have the following functions and duties subject to any general or special order of the Presiding Officer or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, namely:-

(i) to receive all appeals, replies and other documents;

(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeal before they are registered;

(iii) to require any appeal presented to the Appellate Tribunal to be amended in accordance with the rule;

(iv) subject to the directions of the Presiding Officer, or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, to fix date of hearing of the appeal or other proceedings and issue notices thereon;

(v) to direct any formal amendment or records;

(vi) to order grant of copies of documents to parties to proceedings;

(vii) to grant leave to inspect the record of the Appellate Tribunal;

(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, application for the issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a respondent including a substituted service by publication of the notice by way of advertisement in the newspapers; and

(ix) to requisition records from the custody of any court or other authority".

[F. No. 5/33/CM/2003]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 144(E) dated 18th February, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.